निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 515/2010 दिनांक : 08.10.2020

अनवान

पेमा पिता कालू गाडरी 66 वर्ष निवासी बानसेन तहसील भदेसर

..... वादी

।। बनाम ।।

1. नारायण पिता हुकमा गाडरी 50 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर मृतक के बजाय :–
   1/1 देउ बेवा नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
   1/2 कैलाशी पुत्री नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
   1/3 बाली पुत्री नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
2. नगजीराम पिता गोपीलाल गाडरी 32 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
3. देवीलाल पिता गोपीलाल गाडरी 25 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
4. मु0 कमला बाई पत्नि गोपीलाल गाडरी 50 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
5. कना पिता हुकमा गाडरी 45 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
6. किशोर पिता हुकमा गाडरी 42 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
7. भेरा पिता हीरा गाडरी 42 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा बंटवारा आराजी , घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, रा0का0अधि0

उपस्थित –श्री अनुराग/सुरेन्द्र कुमार औझा वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **88, 53, 188,** के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. यह कि मौजा बानसेन तहसील भदेसर की आराजी नमबर 276, रकबा 2 बिस्वा , आराजी नमम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । इस कुलिया आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज हुकमा पिता गोकल गाडरी निवासी बानसेन और उसके पिता गोकल ने अपना 1/2 हिस्सा मिती माह बुदी 3 संवत् 2017 को बिल एवज 250/– रूप्ये में वादी एवं उसके पिता कालू को और उसके भाई भगवाना को संयुक्त रूप से अपना हिस्सा विक्रय कर दिया इस आराजी के पडोस – पूर्व–भेरा गाडरी , प्रतिवादी संख्या 7 का इसी आराजीयात का भाग , पश्चिम–कालू गाडरी , उत्तर–कालू गाडरी का , दक्षिण – रास्ता । इस चारो पडोसों बीच की भूमि बिल एवज दौ सौ पचास रूप्ये में वादी एवं उसके पिता व उसके भाई भगवाना को विक्रय कर दी तभी से इस भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है वादी के भाई भगवाना ला औलाद फौत हो गया है तब से वादी का ही कब्जा इस भूमि पर चला आ रहा है ।

2. यह कि गोकल की मृत्यु हो चुकी हे । हुकमा की मृत्यु हो चुकी है उसके लडके नारायण , गोपी , कन्ना किशोर है गोपी की मृत्यु हो चुकी है उसके पुत्र नगजीराम , देवीलाल है और बेवा कमला है ।

3. यह कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा पिछले 50 सालों से बिना किसी बाधा के निरन्तर चला आ रहा है वादी पुराने कब्जे के आधार पर अपने 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार कानूनी हो चुका है । बाई वरचु एडवर्स पजेशन वादी इस भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 क्लॉज 1 (4)के ताबे खातेदार काश्तकार हो चुका है । चूंकि भूमि प्रतिवादीगण के नाम है और उनके मन में बदयान्ति आ गई है और विवादित भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है जिसका उनकों कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।

4. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को उनके पिता द्वारा किये गये विक्रय पत्र का हवाला देकर समझाया बुझाया पर वे नहीं मान रहें है व बंटवारा कराने से भी इन्कार कर रहें है इसलिए मजबूरन वादी को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश करना पड रहा है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी • भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.) •

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. यह कि वाद कारण दिनांक 14.6.2010 को जब प्रतिवादी ने मौके पर आकर विवाद किया बंटवारा से इन्कार किया और वादी के हक हिस्से इन्कार किया से उत्पन्न होकर यह वाद अन्दर अवधि पेश है ।

6. अतःवाद वादी स्वीकार फरमया जाकर निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे :–

(क) यह घोषित किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा है और वादी राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दज्र कराने का अधिकारी है ।

(ख)– यह कि विवादित आराजीयात का बंवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराया जावे और वादी का 1/2 हिस्सा अलग कराया जावे । वादी के अलग खातेदारी में दर्ज कराई जावे और इसी अनुसार कब्जा भी वादी का कायम रखाया जावे लगान की फाटनी कराई जावे ।

(ग)– यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाकर पाबन्द किया जावे िकवे विवादित भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें न करावें और वादी विवादित भूमि का पूर्ववत काबिज होकर समुचित रूप से उपयोग उपभोग करने देवें इसमें किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करें न करावें ।

(ख)– यह कि खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य सहायता जो वादी के हित में न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की और से वकील श्री सुधीरकुमार कुमावत ने उपस्थित दी किन्तु उत्तरदाता की ओर से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया दौराने कार्यवाही प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण में भाग नहीं लिया जाने व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. नकल बही लिखापढी संवत् 2017 माह बिद 3 मंगलवार प्रदर्श–1 ए
2. नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2028–2032 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या 165 संवत् 2065–2068 प्रदर्श–3
4. गवाह शपथ पत्र पेमा पिता कालू गाडरी निवासी बानसेन पी0डब्लू 1
5. गवाह शपथ पत्र उदयलाल पिता कजौड भील निवासी बानसेन पी0डब्लू 2
6. गवाह शपथ पत्र देवीलाल पिता पेमा गाडरी निवासी बानसेन पी0डब्लू 3
7. गवाह शपथ पत्र पिन्टू पिता मथरालाल गर्ग निवासी बानसेन पी0डब्लू 4

बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । पंजिकृत दस्तावेज प्रदर्श 1 अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी के पिता कालू ओर कालू के भाई भगवाना ने बही लिखा पढी दिनांक मिती माह बुदी 3 संवत् 2017 से कय करना प्रमाणित कराया करया है गवाह पी–डब्लू (कस्टेडिंग फिटनेस) अपने बयान में बिकावनामा के वक्त वह मौके पर मौजूद था तथा लिखा पढी में जिन पक्षकारों ने हस्ताक्षर किये उनके हस्ताक्षरों को पहचाना है अन्य गवाहान पी–डब्लू 4 एवं दस्तावेज खसरा गिरदावरी प्रदर्श–2 से यह साबित कराया गया है विवादित आराजीयात पर वक्त खरीद से ही वादी एवं उनके पूर्वजों का ही कब्जा चला आ रहा है और आज भी भूमि का उपयोग उपभोग वादी ही कर रहा है जिससे वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है कि जिस आराजीयात का बेचात हुआ उसके विक्रेता ओर क्रेता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तथा राजस्व रेकार्ड में मूल खातेदार की मृत्यु पश्चात् विरासतीय इन्तकाल खोले जाने से उनके वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में आ चुका है । जबकि आराजीयात पर कब्जा वादी का ही है । विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हे कि 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है जिसको जिस स्थिति में है उसी स्थिति ग्राह्य किया जाना चाहिए उसकी वैधता पर किसी प्रकार शंका जाहिर नहीं की जा सकती है वाकियाती एवं लिखापढी में शामिल सभी लोगों की पहचान् वादी ने अपने गवाहों के माध्यम से बखूबी कराई गई है । वादी के पिता कालू एवं कालू के भाई भगवाना दोनों ने मिलकर 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि 250/– रूप्ये में खरीद की गई है जिससे कालू का 1/2 हिस्सा एवं भगवाना का 1/2 हिस्सा खरीदी गई भगवाना लाऔलाद फोत हो चुका है तथा वादी के पिता कालू एवं विक्रेता भी फोत हो चुके है जिससे सम्पूर्ण आराजीयात पर वादी का एकल कब्जा स्वामित्व साबित है

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

एव उत्तराधिकारी एक्ट में वर्णित सारणी अनुसार कालू व भगवाना के वारिस के रूप में वादी ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है जिससे भगवाना का हक हिस्सा भी वादी को ही प्राप्त होगा वर्तमान खातेदारान का राजस्व रिकार्ड में विरासत की स्वभाविक प्रकिया से नाम आया है जो प्रकरण में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संस्थित हे किन्तु उन्होनें वाद का खण्डन नहीं किया हे जिससे भी वाद के तथ्यों को बल मिलता है । वरचू पजेशन भी वादी का साबित है । तथा वादी वाद वर्णित आराजीयात् अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी पाये जाते है अतः वाद स्वीकार योग्य समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि बही में लिखा पढी (सेल–डीड) दिनांक मिती माह बुदी 3 संवत् 2017 मौजा बानसेन तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 276, रकबा 2 बिस्वा , आराजी नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के खातदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वर्तमान में दर्ज सभी खातेदारान् का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है । चूंकि सम्पूर्ण आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज होगी अतः धारा 53 की दाद खारीज की जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज होने तक आराजीयात को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन बय बख्शीस नहीं करें न करावें । बैंक रहन का भार वादी निर्वहन करेगें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

पेमा पिता कालू गाडरी 66 वर्ष निवासी बानसेन तहसील भदेसर

।। बनाम ।। ..... वादी

1. नारायण पिता हुकमा गाडरी 50 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर मृतक के बजाय :–
   1/1 देउ बेवा नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
   1/2 कैलाशी पुत्री नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
   1/3 बाली पुत्री नारायण गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर
2. नगजीराम पिता गोपीलाल गाडरी 32 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
3. देवीलाल पिता गोपीलाल गाडरी 25 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
4. मु0 कमला बाई पत्नि गोपीलाल गाडरी 50 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
5. कना पिता हुकमा गाडरी 45 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
6. किशोर पिता हुकमा गाडरी 42 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
7. भेरा पिता हीरा गाडरी 42 साल निवासी बानसेन तहसील भदेसर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा आराजी , घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, रा0का0अधि0
प्रकरण सं0 515/2010

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी की और से वकील श्री अनुराग/सुरेन्द्र कुमार औझा एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 08.10.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि बही में लिखा पढी (सेल–डीड) दिनांक मिती माह बुदी 3 संवत् 2017 मौजा बानसेन तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 276, रकबा 2 बिस्वा , आराजी नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के खातदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वर्तमान में दर्ज सभी खातेदारान् का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है । चूंकि सम्पूर्ण आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज होगी अतः धारा 53 की दाद खारीज की जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज होने तक उक्त आराजीयात को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन बय बख्शीस नहीं करें न करावें । बैंक रहन का भार वादी निर्वहन करेगें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 08–10–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner